<u>न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी</u>
(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 03 / 2024(पुरानी–40 / 2023)
प्रविष्टि दिनांकः– 13.03.2024(पुरानी–14.06.2023)
निर्णय दिनांक :– 10.06.2024

::–<u>उनवान</u>–::

1. श्री सत्यनारायण गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री राकेश कुमार मोदी पुत्र श्री कजोड़ मल मोदी निवासी जयपुर रोड़ टोडारायसिंह जिला केकड़ी एफ.बी.ओ. मैसर्स मोदी डिपार्टमेन्टल स्टोर, सब्जी मण्डी मार्केट टोडारायसिंह जिला केकड़ी।
2. मैसर्स मोदी डिपार्टमेन्टल स्टोर, सब्जी मण्डी मार्केट टोडारायसिंह जिला केकड़ी प्रोपरायटर श्री कृष्ण अवतार गर्ग पुत्र श्री बालबिहारी गर्ग निवासी जयपुर रोड़ टोडारायसिंह जिला केकड़ी।
3. श्री पंकज पोपटानी पुत्र श्री दयानन्द पोपटानी निवासी वार्ड नं. 16 तेली मोहल्ला कटला मस्जिद के पास केकड़ी जिला केकड़ी प्रोपरायटर मैसर्स किशन फ्लोर मिल नाई खेड़ा रोड़ केकड़ी जिला केकड़ी।
4. मैसर्स किशन फ्लोर मिल नाई खेडा रोड़ केकड़ी जिला केकड़ी।

– अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थिति :
(1) पेरोकार सरकार उपस्थित।
(2) विपक्षीगण पदम कुमार जैन, ओमप्रकाश जैन एवं पंकज पोपटानी स्वयं उपस्थित।

::–<u>निर्णय</u>–:: **दिनांकः 10.06.2024**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.10.2022 को समय 03:30 पीएम पर मैसर्स मोदी डिपार्टमेन्टल स्टोर, सब्जी मण्डी मार्केट टोडारायसिंह जिला केकड़ी पर पहुंचा। वहां कारोबारकर्ता एवं विक्रेता श्री राकेश कुमार मोदी पुत्र श्री कजोड़ मल मोदी निवासी जयपुर रोड़ टोडारायसिंह जिला केकड़ी अपने प्रतिष्ठान मैसर्स मोदी डिपार्टमेन्टल स्टोर, सब्जी मण्डी मार्केट टोडारायसिंह जिला केकड़ी पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी, मसाले, बेसन, नमकीन–बिस्कट व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राकेश कुमार मोदी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया तथा मौक पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री पत्र दिखाया।

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

2. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, मसाले, बेसन, नमकीन–बिस्कट के साथ–साथ दुकान में प्लास्टिक के 1 कट्टे में लगभग 25 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 1–1 किग्रा पैक **बेसन (कलश ब्राण्ड)** रखा हुआ था। इस **बेसन (कलश ब्राण्ड)** का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री राकेश कुमार मोदी पुत्र श्री कजोड़मल मोदी को गवाह के सामने फार्म नं 05 ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री श्री राकेश कुमार मोदी पुत्र श्री कजोड़मल मोदी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में प्लास्टिक के 1 कट्टे में लगभग 25 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 1–1 किग्रा पैक **बेसन (कलश ब्राण्ड)** में से **बेसन (कलश ब्राण्ड) के बैच नम्बर एल.एम. 7 एवं पैकिंग की दिनांक 12.09.2022 थी**, को ज्यो का त्यों पैक्ड अवस्था में 1–1 किग्रा पैक के 4 मूल पैक पैकेट वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत श्री राकेश कुमार मोदी पुत्र श्री कजोड़मल मोदी को रू 300/– अक्षरे तीन सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री राकेश कुमार मोदी के हस्ताक्षर तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

4. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **बेसन (कलश ब्राण्ड)** की खरीदशुदा 4 मूल पैक प्रत्येक नग 1–1 किग्रा पैक को ज्यों का त्यों एक–एक नग को नियमानुसार एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भागों में तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर **डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3292** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मनोज पाटीदार तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खांकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर, प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3292 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर कारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जें में लिया तथा इस समस्त कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर नमूना सील अंकित कर, गवाहों के सामने कारोबारकर्ता को पढ कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाए।

5. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

6. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि श्री राकेश कुमार मोदी मैसर्स मोदी डिपार्टमेन्टल स्टोर, सब्जी मण्डी मार्केट टोडारायसिंह ने मौके पर बतोर वांरटी मैसर्स किशन फ्लोर मिल नाई खेड़ा

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

रोड़ केकड़ी जिला केकड़ी का खरीद बिल क्रमांक /इन्वॉइस नं0 899 दिनांक 08.10.2022 प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

7. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3569 दिनांक 31.10.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./2921/एक्ट/2022/2959 दिनांक 18.10.22 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **बेसन (कलश ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप (MisBranded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विकेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

8. हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **बेसन (कलश ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (MisBranded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा **(ii)** के अन्तर्गत अपराध तथा दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण पर शस्ति लगाया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii), एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49) का स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी सं0 1 श्री राकेश कुमार मोदी पुत्र श्री कजोड़मल मोदी व अप्रार्थी सं0 3 श्री पंकज पोपटानी पुत्र श्री दयानन्द पोपटानी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 1 पर कुल शास्ति रूपये 5,000/– (अक्षरे पाँच हजार रूपये) व अप्रार्थी सं0 3 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 10.06.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी